रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1288] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2008/भाद्र 24, 1930
No. 1288] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2008/BHADRA 24, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2008

का.आ. 2199(अ).—लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 12 सितम्बर, 2008 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

"निम्न मामले में

प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य (लोक सभा) और नेता, समाजवादी संसदीय पार्टी, लोक सभा, निवास : 36 नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001

—याची

बनाम

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय क्षेत्र से संसद सदस्य (लोक सभा)

—प्रत्यर्थी

आदेश

1. यह प्रो. राम गोपाल यादव, संसद सदस्य, लोक सभा और नेता, समाजवादी संसदीय दल, लोक सभा द्वारा प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, संसद सदस्य लोक सभा के विरुद्ध दायर याचिका है जिसमें प्रधान मंत्री द्वारा 21 जुलाई, 2008 को प्रस्तुत विश्वास मत के दौरान समाजवादी दल के मुख्य सचेतक द्वारा जारी पार्टी व्हिप के उल्लंघन में अपना मत डालने के कारण भारत के संविधान के अनु. 102(2) और संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1) (क) के अधीन लोक सभा का सदस्य बने रहने के अयोग्य होने के कारण प्रत्यर्थी की लोक सभा सदस्यता समाप्त करने हेतु प्रार्थना की गयी है ।

2. याची का तर्क है कि प्रत्यर्थी, जो लोक सभा के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के जलेसर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी दल के उम्मीदवार के रूप में 14वीं लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं । लोक सभा द्वारा प्रकाशित संसद सदस्यों की सूची में प्रत्यर्थी का नाम समाजवादी पार्टी के सदस्य के रूप में दर्शाया गया है ।

3. जैसा कि ऊपर बताया गया है याची के अनुसार प्रत्यर्थी को प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए मंत्रिपरिषद् में विश्वास मत के पक्ष में मत देने के लिए तीन पंक्तियों का व्हिप जारी किया गया था ।

4. याची द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी ने दल के मुख्य सचेतक द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन करते हुए विश्वास मत के विरोध में मत दिया जिसके लिए उसे दल या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा माफ भी नहीं किया गया है, अतः जैसा कि ऊपर बताया गया है यह उनकी निरर्हता को उपगत करता है ।

5. याचिका के साथ एक सूची संलग्न की गई है जिसमें 22 जुलाई, 2008 को हुए मत विभाजन के परिणाम दर्शाए गए हैं । ये परिणाम भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि प्रत्यर्थी ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया था ।

6. याचिका की एक प्रति भली प्रकार से प्रत्यर्थी को पहुंचाए जाने के बाद भी प्रत्यर्थी द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त सुनवाई की तिथि 12 सितम्बर, 2008 नियत करने से संबंधित अध्यक्ष द्वारा संस्वीकृत एवं लोक सभा सचिवालय द्वारा अग्रेषित व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना भी प्रत्यर्थी को भली प्रकार से दी गई किन्तु प्रत्यर्थी न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही इसकी कोई सूचना लोक सभा सचिवालय या अध्यक्ष के कार्यालय को दी । अतः यह निर्णय लिया गया कि प्रत्यर्थी से संबंधित मामले की सुनवाई एक पक्षीय की जाएगी ।

7. संविधान की 10वीं अनुसूची के पैरा 2(1)(क) में उपबंध है कि पैरा 4 तथा 5 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए किसी भी राजनैतिक पार्टी के संसद सदस्य को सदन की सदस्यता से निरर्हित कर दिया जाएगा यदि वह उस राजनैतिक पार्टी के द्वारा, जिसका कि वह सदस्य है, जारी निर्देशों के विपरीत अथवा उस राजनैतिक पार्टी से पूर्व

अनुमति प्राप्त किए बिना, उस राजनैतिक पार्टी से ऐसे मतदान अथवा मतदान से प्रविरत रहने के लिए 15 दिनों के भीतर माफी प्राप्त किए बिना, सदन में मतदान करता है अथवा मतदान से प्रविरत रहता है । वर्तमान मामले में पैरा सं. 4 तथा 5 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं ।

8. वैयक्तिक सुनवाई में, याची ने स्वयं उपस्थित होकर मेरा ध्यान 20 जुलाई, 2008 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों की ओर आकृष्ट कराया जिनमें प्रत्यर्थी का वह कथन प्रकाशित किया गया है जिसमें वह खुले तौर पर अपनी पार्टी की नीतियों तथा कार्यक्रमों के प्रति अपने विरोध की अभिव्यक्ति कर रहा है ।

9. याचिका तथा इसके साथ संलग्न अनधियोज्य प्रमाण, नामतः लोक सभा के रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने व्हिप में यथा निश्चित अपनी पार्टी के निर्देश, जिसकी एक प्रति याचिका के साथ संलग्न है, का उल्लंघन करते हुए अपने राजनीतिक दल के निदेश के विपरीत मतदान किया है और जिसे दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1)ख के तहत माफ नहीं किया गया है तथा उसके फलस्वरूप वे स्पष्टतः सदन का सदन बने रहने के लिए अयोग्य हो गये हैं ।

10. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थी द्वारा याचिका का न तो कोई उत्तर दिया गया है और न ही किसी और प्रकार से स्पष्टीकरण दिया गया है । इस प्रकार मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचक नहीं है कि प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए विश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध दिनांक 22 जुलाई, 2008 को मतदान करने के कारण प्रत्यर्थी वास्तव में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) ख के तहत सदन का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य है ।

11. इस प्रकार प्रत्यर्थी, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल 14वीं लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य हैं तथा यह घोषणा की जाती है कि उनका स्थान रिक्त हो गया है ।

नई दिल्ली; सोमनाथ चटर्जी
दिनांक 12 सितम्बर, 2008 अध्यक्ष लोकसभा"

[सं. 46/33/2008/टी.]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2008

S.O. 2199(E).—The following Decision dated 12th September, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :—

"In the matter of :

Prof. Ram Gopal Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) and Leader, Samajwadi Parliamentary Party, Lok Sabha, residing at 36, North Avenue, New Delhi–110001.

—Petitioner

Versus

Prof. S. P. Singh Baghel, Member of Parliament, (Lok Sabha), Jalesar Parliamentary Constituency of Uttar Pradesh.

—Respondent

Order

1. This is an application filed by Prof. Ram Gopal Yadav, MP, Lok Sabha and Leader, Samajwadi Parliamentary Party, Lok Sabha against Prof. S. P. Singh Baghel, MP, Lok Sabha praying for termination of the membership of Lok Sabha of the Respondent for incurring disqualification for being a Member of Lok Sabha under Article 102(2) of the Constitution of India and Paragraph 2(1)b of the Tenth Schedule of the Constitution, on account of exercising his vote in violation of the Party Whip issued on him by the Chief Whip of Samajwadi Party, during the Motion for Vote of Confidence moved by the Prime Minister in Lok Sabha on 21 July, 2008.

2. It is contended by the Petitioner that the Respondent, who is a Member of Lok Sabha, has been elected as a candidate of Samajwadi Party from Jalesar Lok Sabha Constituency of Uttar Pradesh to the 14th Lok Sabha. The name of the Respondent appears in the list of Members, published by Lok Sabha, as belonging to Samajwadi Party.

3. According to the Petitoner, a three-line Whip was issued on the Respondent for voting in favour of the Motion of Confidence in the Council of Ministers moved by the Prime Minister, as aforesaid.

4. It is contended by the Petitioner that the Respondent voted against the Motion of Confidence violating the Party Whip issued by the Chief Whip of the party which has not been condoned by the Party or any authorized person and as such has incurred disqualification, as mentioned above.

5. To the Petition, a list has been annexed showing the result of the Division held on 22 July, 2008, which confirms that the Respondent had voted against the Motion.

6. In spite of due service of the copy of the Petition on the Respondent, no reply has been filed by him. Further, the notice of the personal hearing granted by the Speaker, as forwarded by the Lok Sabha Secretariat, fixing the date of hearing on 12 September, 2008, was duly served on the Respondent but he has not chosen to appear and as a matter of fact no intimation even has been given by the Respondent to the Lok Sabha Secretariat or to the Office of the Speaker. In the premises, it was decided to hear the matter *ex parte* so far as the Respondent was concerned.

7. Paragraph 2(1) b of the Tenth Schedule to the Constitution provides that subject to the provisions of paragraphs 4 and 5, a Member of the House belonging to any Political Party shall be disqualified for being a member of the House, if he votes or abstains from voting in such House, contrary to any direction issued by the political party to which he belongs, without obtaining the prior permission of such political party or without obtaining the condonation by the political party

for such voting or abstention within fifteen days from the date of such voting or abstention. In the present case, the provisions of Paragraphs 4 and 5 have no application.

8. At the personal hearing, the Petitioner appearing in person has drawn my attention to several newspaper reports published on 20 July, 2008 in which the statement of the Respondent had appeared in which he clearly expressed his opposition to his Party's policies and programmes.

9. From the Petition and the unimpeachable evidence annexed to the Petition, namely the records of the Lok Sabha, it is clear that the Respondent in violation of the direction of his Party, as contained in the Whip, a copy of which is also annexed to the Petition, has voted contrary to the direction of his Political Party which has not been condoned in terms of Para 2(1)b of the Tenth Schedule and thereby he has clearly incurred disqualification for being a Member of the House.

10. Further, no answer has been provided by the Respondent to the petition or otherwise and as such I have no hesitation in holding that the Respondent in fact has incurred disqualification under paragraph 2(1)b of the Tenth Schedule of Constitution by reason of his casting vote on 22 July, 2008 against the Motion of Confidence moved by Prime Minister.

11. Thus the Respondent, Prof. S. P. Singh Baghel, stands disqualified for continuing as a Member of the 14th Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant.

New Delhi ;

Dated the 12th September, 2008

SOMNATH CHATTERJEE,
Speaker, Lok Sabha"

[No. 46/33/2008/T.]

P.D.T. ACHARY, Secy.-General

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.